

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 2189 / 27-4

फतेहपुर,

दिनांक – 15/01/2021

सेवा में,

चीफ रीजनल मैनेजर,
कानपुर रीजनल ऑफिस,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० कानपुर।

विषय :- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-लालगंज रोड, एन. एच.-335, (पुराना एन.एच. -232), किमी० नं०-81 (चैनेज नं०-80.135) के मध्य दांयी पटरी पर खसरा संख्या 204 ग्राम-सारीपुर बेरा तहसील-फतेहपुर, जिला-फतेहपुर (उ०प्र०) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1903 हे० का बिना वृक्ष पातन किये गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या – 8बी/यू. पी./06/124/2020/एफ.सी./1155 दिनांक 13.01.2021।

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 16 बिन्दुओं के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

अतः जारी की गई समस्त बिन्दुओं का अनुपालन पूर्ण करते हुये अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड कर आख्या की प्रति एवं वांछित वचन बद्धता प्रमाण पत्र मय संलग्नक के पांच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। –

- 1- Legal Status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 190 trees in Budwan Forest Block, Khaga Range, District-fatehpur at the cost RS. 106291.00 Of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species had to be avoided.
- 3- The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per revised compensatory afforestation for plantation scheme for plantation of 190 plants and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars of required on the CA land shall be deposited Rs 106291.00 in advance with Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation of 100 trees and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.
- 4- The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) Rs. 119128.00 for the 0.1903 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India date 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in IA No. 566 in WP(c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC date 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 5- Additional amount of NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User shall furnish an undertaking to this effect.
- 6- Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.

- 7- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- 8- User agency shall use the land between entry and exit of petrol pump and Conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.
- 9- Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.
- 10- No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
- 11- Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.
- 12- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 13- The Period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be granted in favor of user agency or the project life, whichever is less.
- 14- Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.
- 15- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in>).
- 16- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

भवदीय

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग

फतेहपुर

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-लालगंज रोड, एन.एच.-335, (पुराना एन.एच. -232), किमी० नं० - 81 (चैनेज नं० -80.135) के मध्य दांयी पटरी पर खसरा संख्या 204 ग्राम-सारीपुर बेरा तहसील-फतेहपुर, जिला-फतेहपुर (उ०प्र०) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.1903 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु 190 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खागा रेंज के अन्तर्गत बुदवन वन ब्लॉक (ऊसर भूमि) में अवनत वन भूमि का चयन किया गया है। जिसमें कंजी, नीम, अर्जुन, प्रासोपिस आदि पौधों का रोपण प्रस्तावित है।


क्षतिपूरक वनीकरण हेतु (प्रथम व द्वितीय वर्ष) अग्रिम मृदा व वृक्षारोपण कार्य मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी उ०प्र० के पत्र 223/15-1(सिलिंग दर) दिनांक 14.08.2017 द्वारा जारी सिलिंग दर के अनुसार तथा (तृतीय वर्ष से द्वादशम वर्ष तक) अनुरक्षण प्रथम वर्ष से अनुरक्षण दशम वर्ष तक मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० कैम्पा के पत्रांक 403 दिनांक 14 सितम्बर द्वारा जारी सिलिंग दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है जो निम्नानुसार प्रस्तुत है -
रोपित पौधों की संख्या - 190

भूमि का प्रकार- ऊसर

श्रम दर - ₹0 201.00

क्र०सं०	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (₹0 में) श्रम दर ₹0 175.00 प्रति मानव दिवस के अनुसार	श्रम दर में 14.86 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात दर (₹0 में)	तृतीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर दर (₹0 में)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति हे०	0.304	55900.00	64207.00	0.00	19518.93
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति हे०	0.304	110630.00	127070.00	0.00	38629.28
3	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	39350.00	45197.00	49717.00	15113.97
4	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	31052.00	35666.00	39233.00	11926.83
5	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	17320.00	19894.00	21883.00	6652.43
6	षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	5829.00	6695.00	7365.00	2238.96
7	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	5829.00	6695.00	7365.00	2238.96
8	अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	5192.00	5964.00	6560.00	1994.24
9	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	5192.00	5964.00	6560.00	1994.24
10	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	5192.00	5964.00	6560.00	1994.24
11	एकादशम वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	5192.00	5964.00	6560.00	1994.24
12	द्वादशम वर्ष	दशम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.304	5192.00	5964.00	6560.00	1994.24
योग								106290.56
अर्थात्								106291.00

नोट :- तृतीय वर्ष (अनुरक्ष प्रथम वर्ष से) द्वादशम वर्ष (अनुरक्षण दशम वर्ष) तक की धनराशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है।


प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

फतेहपुर


शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि की गणना

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-लालगंज रोड, एन.एच.-335, (पुराना एन.एच. -232), किमी० नं० - 81 (चैनेज नं० - 80.135) के मध्य दांयी पटरी पर खसरा संख्या 204 ग्राम - सारीपुर बेरा तहसील - फतेहपुर, जिला - फतेहपुर (उ०प्र०) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1903 हे० भूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है :-

- | | | |
|---|----|------------------------------------|
| 1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल | :- | 0.1903 हे० |
| 2. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व | :- | 0.3 |
| 3. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर | :- | रु० 6.26 लाख प्रति हे० |
| 4. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य | :- | $0.1903 \times 626000 = 119127.80$ |
| अर्थात् | :- | 119128.00 |

(रुपया एक लाख उन्नीस हजार एक सौ अठाईस मात्र)

उपरोक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी। तथा भविष्य में यदि उक्त दर में कोई बढ़ोत्तरी होगी तो तदानुसार धनराशि देय होगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर